2010:CGHC:9699
प्रकाशन हेतु अनुपेक्षित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 183 वर्ष 2004

याचिकाकर्ता एम/एस जायसवाल निको लिमिटेड एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादिगण प्रदीप सेनगुप्ता एवं अन्य

निर्णय 23 अप्रैल 2010 को उद्घोषित किया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

2010:CGHC:9699
प्रकाशन हेतु अनुपेक्षित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 183 वर्ष 2004</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड एवं अन्य

बनाम

<u>उत्तरवादिगण</u> प्रदीप सेनगुप्ता एवं अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अधीन रिट याचिका)

एकल खंड : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थित :- श्री आर. एस. जैसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अजय पाल सिंह तथा श्री योगेश पांडेय, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं की ओर से।

श्री प्रदीप सेनगुप्ता, उत्तरदाता क्रमांक 1, स्वयम्।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश</u>

<u>(अभिधानित किया गया इस 23 अप्रैल, 2010 उद्घोषित किया गया)</u>

1. याचिकाकर्ता, इस याचिका के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत, रायपुर के श्रम न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक ए-356/ एमपीआईआर अधिनियम/2002 (प्रदीप कुमार सेनगुप्ता बनाम जयसवाल निको लिमिटेड और अन्य) में दिनांक 3-3-2003 के आदेश (अनुबंध – पी/7) की वैधता और वैधानिकता को चुनौती देना चाहते हैं, जिसके तहत उत्तरदाता संख्या 1 के पक्ष में 50% निर्वाह भत्ता दिया गया था, और इसके अतिरिक्त दिनांक 19-11-2003 के आदेश (अनुबंध - पी/9) जो कि औद्योगिक न्यायालय, रायपुर द्वारा विविध दीवानी प्रकरण क्रमांक 33/एमपीआईआर/III/2003 (जयसवाल निको लिमिटेड और अन्य बनाम प्रदीप कुमार सेनगुप्ता) में पारित किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 3-3-2003 के आदेश के खिलाफ दायर विविध दीवानी प्रकरण खारिज कर दिया गया।

2. आविवादित तथ्य, संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विधिवत पंजीकृत और निगमित है। उत्तरदाता संख्या 1 को याचिकाकर्ता संख्या 1 कंपनी में कार्यकारी श्रेणी में मैकेनिकल

2010:CGHC:9699

प्रकाशन हेतु अनुपेक्षित

इंजीनियर के रूप में छह महीने की परिवीक्षा अवधि के लिए नियुक्त किया गया था और इसके बाद, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उक्त नियुक्ति 10-6-1997 को स्थायी कर दी गई थी। उत्तरदाता संख्या 1 को याचिकाकर्ता संख्या 3 के तहत पर्यवेक्षण कार्य करने के लिए कहा गया था। 22-8-2001 को याचिकाकर्ता संख्या 3 से एक शिकायत प्राप्त हुई कि उसे उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा गाली दी गई और शारीरिक रूप से हमला किया गया तथा गंभीर परिणामों की धमकी भी मिली। उक्त परिवाद के आधार पर, 27-8-2001 को (अनुबंध - पी/2) उत्तरदाता संख्या 1 के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया। उक्त आरोप पत्र के जवाब में, उत्तरदाता संख्या 1 ने 3-9-2001 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। जांच पूरी होने के पश्चात, दिनांक 28-6-2002 के आदेश द्वारा (अनुबंध - पी/3) उत्तरदाता संख्या 1 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

3. सेवा से बर्खास्तगी के आदेश दिनांक 28-6-2002 द्वारा व्यथित होकर, उत्तरदाता संख्या 1 ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (संक्षेप में "अधिनियम, 1960") की धारा 31(3) सह-पठित धारा 61 एवं 62 के अंतर्गत, रायपुर श्रम न्यायालय में एक आवेदन दायर किया। उक्त मामले में, याचिकाकर्ताओं ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि उत्तरदाता संख्या 1 (कर्मचारी) मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में मासिक वेतन रु. 7,672/- पर कार्यरत था और अधिनियम, 1960 की धारा 2(13) भी परिवाद में नहीं आता। उत्तरदाता संख्या 1 मासिक वेतन रु. 1,600/- से अधिक प्राप्त कर रहा था, इस प्रकार, श्रम न्यायालय के पास उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दायर मामले का निपटारा करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उक्त मामले में, उत्तरदाता संख्या 1 ने अधिनियम, 1960 की धारा 84 के तहत श्रम न्यायालय में मामले की लंबित स्थिति के दौरान सकल वेतन और मासिक उत्पादन प्रोत्साहन पर निर्वाह भत्ता का भुगतान करने के लिए आवेदन दायर किया। श्रम न्यायालय ने दिनांक 3-3-2003 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता कंपनी को उत्तरदाता संख्या 1 को 50% निर्वाह भत्ता भुगतान करने का निर्देश दिया।

5. इसके विरुद्ध, याचिकाकर्ता कंपनी ने अधिनियम, 1960 की धारा 67 के तहत रायपुर औद्योगिक न्यायालय में आवेदन दायर किया। औद्योगिक न्यायालय ने दिनांक 19-11-2003 के

2010:CGHC:9699
प्रकाशन हेतु अनुपेक्षित

आदेश (अनुबंध - पी/9) द्वारा श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए मामले को खारिज कर दिया। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. श्री जयसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो श्री अजय पाल सिंह एवं श्री योगेश पांडेय, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं के साथ प्रस्तुत हुए, ने प्रस्तुत किया कि औद्योगिक न्यायालय तथा श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधिनियम, 1960 की धारा 2(13) के प्रावधानों के विपरीत हैं। अधिनस्त न्याययलों ने यह तथ्य समझने में विफल रही कि उत्तरदाता संख्या 1 मासिक वेतन रु. 7,672/- पर मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में कार्यरत था तथा इसलिए वह एक कार्यकारी श्रेणी में आता था।

7. याचिकाकर्ताओं के तर्कों के विपरीत, श्री प्रदीप कुमार सेनगुप्ता, उत्तरदाता संख्या 1 स्वयं निवेदन किया कि दोनों अधिनस्त न्याययलों ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का पत्र एवं उद्देश्य दोनों में सही विवेचन करते हुए उनके पक्ष में 50% निर्वाह भत्ता प्रदान किया। अतः दोनों अधिनस्त न्याययलों द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधता या कमी नहीं है। उत्तरदाता संख्या 1 'कर्मचारी' की परिभाषा के दायरे में आता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने वेद प्रकाश गुप्ता बनाम मेसर्स डेल्टन केबल इंडिया (प्रा.) लिमिटेड में स्पष्ट किया है। अधिनस्त न्याययलों ने आदेश विधि के अनुसार और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वेद प्रकाश गुप्ता (उपरोक्त) में प्रतिवादित न्यायसिद्धांत के अनुसार पारित किया है। श्री सेनगुप्ता ने यह भी निवेदब किया कि उत्तरदाता संख्या 1 पर्यवेक्षणीय कार्य संपादित नहीं कर रहा था, इस तथ्य से संबंधित मुद्दा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14-06-2004 को पारित अंतरिम आदेश में समाप्त हो चुका है, जिसमें याचिकाकर्ताओं की अस्थायी अंतरिम रिट अर्ज़ी अस्वीकार कर दी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं तथा उत्तरदाता संख्या 1 के स्वयं प्रस्तुत तर्कों का परीक्षण किया, इसमे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन ऍवं अभिवाक किया।

9. श्रम न्यायालय ने यह अभिलिखित करने के पश्चात कि उत्तरदाता संख्या 1 कर्मचारी पर्यवेक्षणीय कार्य नहीं करता, यह अधिनिर्धारित करते हुए कहा की उत्तरदाता संख्या 1 'कर्मचारी' की परिभाषा में आता है। श्रम न्यायालय के पास अधिनियम, 1960 की धारा 84 के तहत विवाद निपटारे के

2010:CGHC:9699
प्रकाशन हेतु अनुपेक्षित

निर्णय से पूर्व विवाद की लंबित अवधि के दौरान निर्वाह भत्ता प्रदान करने की शक्ति थी। अर्थात्, वेद प्रकाश गुप्ता (ऊपर) के अवलंब लेते हुए श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर विविध दीवानी प्रकरण खारिज कर दिया।

10. शब्द 'कर्मचारी' की परिभाषा अधिनियम, 1960 की धारा 2(13) के अंतर्गत दी गई है। वहीं 'कामगार' शब्द का प्रयोग तथा उसकी परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "आई.डी.ए.") की धारा 2(स) में की गई है।

11. अधिनियम, 1960 की धारा 2 (13) के अनुसार

"2. परिभाषाएँ.-

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

(13) "कर्मचारी" से तात्पर्य किसी भी उद्योग में नियोजित किसी भी व्यक्ति से है जो किराए या पारिश्रमिक के लिए कोई कुशल, अकुशल, मैनुअल पर्यवेक्षी, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करता है, चाहे रोजगार की शर्तें स्पष्ट या निहित हों, और इसमें शामिल हैं-

(ए) खंड 14 के उपखंड (ई) के अर्थ के भीतर एक नियोक्ता के साथ अनुबंध के निष्पादन में उसके लिए कोई काम करने के लिए एक ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति; और

(बी) उप-खंड (v) के अधीन प्रशिक्षु से भिन्न कोई प्रशिक्षु; किन्तु इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है-

(i) जो सेना अधिनियम, 1950 (1950 का XLVI), या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का XLV), या नौसेना अनुशासन अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन हैं; या

(ii) जो पुलिस सेवा में या किसी जेल के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में कार्यरत है; या

(iii) जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय क्षमता में कार्यरत है; या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:9699

प्रकाशन हेतु अनुपेक्षित

(iv) जो पर्यवेक्षकीय हैसियत में नियोजित होते हुए प्रति माह एक हजार छह सौ रुपए से अधिक मजदूरी प्राप्त करता है; या

(iv) जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना के अंतर्गत कार्य करने वाला शिल्पकार या प्रशिक्षु है, इस शर्त पर कि ऐसा शिल्पकार या प्रशिक्षु इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी नहीं समझा जाएगा;

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx"

12. आईडीए की धारा 2(एस) इस प्रकार है :

"2. परिभाषाएँ.-

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(S) "कर्मचारी" से आशय है कोई भी व्यक्ति (जिसमें प्रशिक्षु भी सम्मिलित है) जो किसी उद्योग में हाथ से किया जाने वाला, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिकीय या पर्यवेक्षी कार्य, वेतन या पारिश्रमिक के लिए नियोजित किया जाता है, चाहे नियोजन की शर्तें व्यक्त हों या अंतर्निहित हों। और इस अधिनियम के अंतर्गत किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में किसी कार्यवाही के प्रयोजन हेतु, इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसे उस विवाद के संबंध में अथवा उसके परिणामस्वरूप पदच्युत, सेवाछुट्टी या छंटनी कर दिया गया हो, या जिसकी पदच्युति, सेवाछुट्टी या छंटनी से वह विवाद उत्पन्न हुआ हो; किंतु इसमें कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है—

(i) जो वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन है; या

(ii) जो पुलिस सेवा में नियोजित है या किसी जेल का अधिकारी या अन्य कर्मचारी है; या

(iii) जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक कार्य में नियोजित है; या

2010:CGHC:9699
प्रकाशन हेतु अनुपेक्षित

(iv) जो पर्यवेक्षी क्षमता में नियोजित है, और जिसकी माहवार मजदूरी एक हजार छह सौ रुपए से अधिक है, या जो, कार्यालय से जुड़ी जिम्मेदारियों के स्वभाव से या उसके अधिकारों के कारण, मुख्य रूप से प्रबंधकीय कार्य करता है।"

13. सर्वोच्च न्यायालय ने ***वेद प्रकाश गुप्ता (ऊपर)*** मामले में 'वर्कमैन' की परिभाषा पर विचार करते हुए कहा कि यह स्थापित करने के लिए कि आवेदनकर्ता मुख्यतः पर्यवेक्षात्मक कार्य करता है या नहीं, यह पर्याप्त नहीं है कि कहा जाए कि वह पर्यवेक्षात्मक कार्य में लगा है। प्रकरण तभी तय होगा जब यह पाया जाए कि संबंधित कर्मचारी का कार्य का प्रकृति मुख्य रूप से पर्यवेक्षात्मक है।

14. मामले में, श्रम न्यायालय ने यह तथ्य जांचा नहीं कि उत्तरवादी क्रमांक 1 को सौंपा गया कार्य पर्यवेक्षात्मक था या नहीं, बल्कि यह निष्कर्ष अधिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता पर्यवेक्षात्मक कार्य नहीं कर रहा था और 'कर्मचारी' की परिभाषा में आता है। याचिकाकर्ता ने अधिनस्त न्याययालय के उस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी कि उत्तरवादी क्रमांक 1 का कार्य पर्यवेक्षात्मक स्वरूप का नहीं था, लेकिन यह आशय दिया कि जीवन नियहीत भत्ता देने के निर्णय को चुनौती दी है इस आधार पर कि उत्तरवादी क्रमांक 1 को प्रति माह 1600/- रुपए से अधिक वेतन मिल रहा था, इसलिए वह 'कर्मचारी' की परिधि में नहीं आता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. धारा 2(13)(बी)(iii)(iv) के प्रावधानों का नग्न अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि प्रति मास सोलह सौ रुपये से अधिक मजदूरी का प्रतिबंध केवल तभी लागू होता है जब कर्मचारी पर्यवेक्षी क्षमता में कार्य कर रहा हो। अतः प्रतिवादी संख्या 1 को अधिनियम, 1960 की धारा 2(13)(बी)(iii)(iv) के प्रावधानों का लाभ नहीं मिल सकता।

16. निचली अदालतों ने प्रतिवादी संख्या 1 के मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम (IDA) की धारा में परिभाषित "कार्मिक" के आधार पर जांचा है। अधिनियम, 1960 में, न तो परिभाषा में और न ही धारा 84 के प्रावधानों में "कार्मिक" शब्द का प्रयोग किया गया है, अपितु "कर्मचारी" शब्द का प्रयोग किया गया है, तथा निचली अदालतों ने इस दृष्टिकोण से तथ्य पर विचार नहीं किया

2010:CGHC:9699

प्रकाशन हेतु अनुपेक्षित

है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम, 1960 की धारा 84 मामले की लंबितगी के दौरान निर्वहन या बर्खास्तगी के प्रथम दृष्टया औचित्यपूर्ण न होने पर संतुष्ट होने के पश्चात् कर्मचारी को जीविका भत्ता प्रदान करने का प्रावधान करती है।

17. वर्तमान याचिका में चुनौती श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 3-3-2003 को पारित अंतरिम आदेश और औद्योगिक न्यायालय द्वारा दिनांक 19-11-2003 को पारित आदेश को दी गई है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता कंपनी को निर्देशित किया गया है कि वह उत्तरदाता क्रमांक 1 कर्मचारी को 50% जीवन नियहीत भत्ता प्रदान करे। अन्य पहलुओं पर प्रकरण अभी विचाराधीन है।

18. मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, जहाँ अधिनस्त न्याययलों ने अधिनियम, 1960 की आवश्यकताओं के अनुसार तथ्यों की कड़ाई से परीक्षण नहीं की है, फिर भी उत्तरवादी क्रमांक 1 कर्मचारी को अधिनस्त न्याययलों द्वारा और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14-6-2004 के अंतरिम आदेश से अनुतोष प्रदान की गई है। अतः इस चरण पर उक्त अनुतोष को वापस लेना न्याय के हित में नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज की जाती है। तथापि, श्रम न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व अधिनियम, 1960 की धारा 2 (13) के प्रावधानों के प्रकाश में उत्तरवादी क्रमांक 1 के कार्य की प्रकृति की जांच करे और तत्पश्चात मामले को मेरिट पर विचार करे। यह भी अपेक्षा की जाती है कि चूंकि प्रकरण 2002 से विचाराधीन है, श्रम न्यायालय इस मामले को इसके मठ-दोष पर शीघ्रातिशीघ्र, संभवतः इस आदेश की प्रति प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर, निपटाए।

20. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

हस्ताक्षरित—

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरण:हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

अस्वीकरण: विवेकानंद समद्दार द्वारा अनुवादित।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur